कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

दिनांक 01–03–2021

बैठक कार्यवृत दिनांक 01–03–2021

दिनांक 01–03–2021 को अपराह्न 4.00 बजे स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 बाबत आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही ;–

1– श्रीमती ज्योति सुनारिया–सहायक आयुक्त,नगरपालिक निगम–रतलाम
2– श्री सुरेशचन्द्र व्यास–प्र0कार्यपालन यंत्री,
3– श्री जी.के. जायसवाल–प्र0कार्यपालन यंत्री,
4– श्री श्याम कुमार सोनी–प्र0सहायक यंत्री,
5– श्री अनवर कुरैशी–प्र0सहायक यंत्री,
6– श्री ए.पी. सिंह–प्र0स्वच्छता अधिकारी,
7– श्री एम.के. जैन–प्र0सहायक यंत्री,
8– श्री जसवन्त जोशी–प्र0सचिव,
9– श्री रामचन्द्र शर्मा–प्र0कार्यालय अधीक्षक,
10– श्री बी.एल. चावरे–प्र0स्थापना,
11– श्री सुहास पंडित – उप यंत्री,
12– श्री राजेश पाटीदार–उप यंत्री,
13– श्री ब्रजेश कुशवाह–उप यंत्री,
14– श्री विकास सिंह मरकाम–उप यंत्री,
15– श्री मनीष तिवारी–उप यंत्री.,
16– श्री सिद्धार्थ सोनी–उप यंत्री,
17– श्रीमती अनिता ठाकुर–उप यंत्री,
18– सुश्री दीक्षा निजामपुरकर–उप यंत्री,,
19– श्री पर्वत कुमार हाड़े–प्र0स्वच्छता निरीक्षक,
20– श्री किरण कुमार चौहान, ,,
21– श्री कपिल मारोठिया, सिटी मिशन मैनेजर,
22– श्री नितिन तिवारी, ,,
23– श्री नीरज यादव–केमिस्ट/झोन प्र0,
24– श्री अनिल पारा–उद्यान पर्यवेक्षक,
25– श्री धर्मेन्द्र दोगाया–उद्यान पर्यवेक्षक,
26– श्री राजेन्द्रसिंह गेहलोत–सहायक वर्ग–3, स्वास्थ्य वि.,
27– श्री जितेन्द्र सिसोदिया–फिल्टर अटेंडेंट,
28– श्री आशीष चौहान उप स्वच्छता पर्यवेक्षक,
29– श्रीमती मौनिका चौहान ,,
30– श्री जय उपाध्याय, ,,
31– श्री तरूण राठोड़, ,,
32– श्री प्रमोद तिवारी–स्टेनोग्राफर,
33– श्री वासुदेव बैरागी–समयपाल,
34– श्री प्रतीक मिश्रा–टैक्नीकल एक्सपर्ट,
35– आईसीटी संस्था आस्था के सदस्य,

Scanned with CamScanner

उद्यान बिल्कुल क्लीन रहने चाहिए, इस हेतु उद्यान पर्यवेक्षक को निर्देश दें। साथ ही एक भी नाली भरी हुई नहीं रहनी चाहिए, चालू नालियां साफ करवायी जाए व इन्हें अल्टरनेट साफ करवाया जावे । स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ जी.एफ.सी. की भी टीम आ सकती है । अतः सभी एक साथ पूरी ताकत के साथ रतलाम शहर को नम्बर 01 बनाने हेतु लग जायें । जब तक स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम नहीं आती तब तक का समय है हमारे पास आवश्यक तैयारी हेतु। अतः स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम को नंबर 01 बनाने हेतु हमें निरन्तर कार्य करना है। रतलाम शहर के नम्बर 01 बनने पर शहर को गर्व होगा, किन्तु इसमें सबसे ज्यादा गर्व निकाय की टीम को होगा।

बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अन्तर्गत आदेश क्र0/90/सा.प्र.वि./2021 दिनांक 24–02–21 द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा वार्ड में भ्रमण संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया ।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाय :–

(1). वार्ड पर्यवेक्षण हेतु नियोजित अधिकारी/कर्मचारी को रूट चार्ट दिया जावे । पर्यवेक्षक वार्ड में भ्रमण कर कर्मचारियों की उपस्थिति देखें, सफाई कार्य में कोई कमी हो तो उसे देखें तथा कचरा कलेक्शन के डोर टू डोर संग्रहण वाहन के कांच पर रूट चार्ज लगा हुआ है या नहीं यह देखा जावे तथा 100 प्रतिशत कचरा कलेक्शन के अलावा सेग्रीग्रेशन हो रहा है अथवा नहीं यह भी देखा जावे । डोर टू डोर वाहन पर रूट चार्ट लगे होने का कार्य श्री मनीष तिवारी उप यंत्री द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(2). वार्डवार डोर टू डोर (कचरा संग्रहण) वाहन नियत समय पर वार्ड के लिए निकल जायें यह कर्मशाला विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।

(3). स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु वार्डो में मानीटरिंग के लिए नियोजित अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे निरीक्षण आरंभ करेंगे तथा दिन भर का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन सायं 6.00 बजे प्रस्तुत करेंगे।

(4). आई.सी.टी. की आस्था संस्था के द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की जाने व कई बार टीम के सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के निर्देश दिये जाने के बाद भी टीम सदस्यों की संख्या में समुचित वृद्धि नहीं किये जाने के संबंध में आस्था संस्था के प्रमुख (श्री विजय गुप्ता) को एस.बी.एम. प्रकोष्ठ नगर निगम द्वारा नोटिस दिया जावे ।

Scanned with CamScanner

(5). सभी अधिकारी/कर्मचारी नियत ड्रेसकोड में ही अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों, आदेश का कडाई से पालन किया जावे, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(6). बैठक के दौरान स्पाट फाईन करने हेतु बनाये गए दल के कर्मचारियों द्वारा ड्रेस पहनकर नहीं आने पर उनका एक दिन, दिनांक 01 मार्च 2021 का वेतन काटे जाने संबंधी आदेश बाबत, श्री बी.एल. चावरे–स्थापना प्रभारी को निर्देश दिये गए ।

(7). डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ी का रूट चार्ट फालो हो रहा है अथवा नहीं को देखा जावे । साथ ही आई.टी. सेल अन्तर्गत व्हाटसएप्प ग्रुप में श्री प्रतीक मिश्रा टेक्नीकल एक्सपर्ट को भी जोड़ा जावे।

(8). 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पालीथिन दुकान, सब्जी–फ्रुट वाले से मिलने पर उनकी जब्ती की जाय तथा छोटे दुकानदार पर रू0 50/– की पेनल्टी की जावे। गंदगी करने वाले या खुले में कचरा डालने वाले के विरूद्ध स्पाट फाईन की कार्यवाही की जावे । डस्ट बिन नहीं रखा हो तो 100/– रू0 का स्पाट फाईन किया जावे व बड़े दुकानदारों पर रू0 500/– – 1000/– का स्पाट फाईन किया जावे ।

(9). कम्पोस्ट का कार्य प्र0कार्यपालन यंत्री–स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशानुसार नियत स्थल पर करवाया जाय । जिन उद्यान में सीमेंट कालम नहीं है में मेट लगवाने का कार्य किया जाय एवं वार्ड नं0 01 से 24 के उद्यान में श्री धमेन्द्र दोगाया व वार्ड नं0 25 से 49 तक के उद्यान में श्री अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक द्वारा कार्य करवाया जाय । वार्ड में सामुदायिक कंपोस्टिंग की कार्यवाही की जाय ।

(10). प्रत्येक वार्ड से एक उत्कृष्ट सड़क व एक उद्यान का चयन किये जाने बाबत कार्यालय (श्री सुरेशचन्द्र व्यास प्र0कार्यपालन यंत्री के निर्देशानुसार) द्वारा दी गई सूची अनुसार उत्कृष्ट सड़क एवं उद्यान हेतु वार्ड पर्यवेक्षक द्वारा इसको भी देखा जायं।

(11). सीटी/पीटी (कम्युनिटी टायलेट व पब्लिक टायलेट) हेतु आवश्यक कार्य किये जाएं एवं महिला व पुरूष हेतु लिखा हुआ लगा हो यह सुनिश्चित किया जावे । साथ ही पब्लिक टायलेट हेतु सुलभ इंटरनेशनल के स्थानीय कर्मचारी (श्री कुमुद) को इस हेतु सूचित किया जावे कि 18 ही पब्लिक टायलेट पर 2 माह पूर्व के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जावे । सभी कम्युनिटी टायलेट व पब्लिक टायलेट की सूची मानीटरिंग करने वाले पर्यवेक्षक को उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही सीटी/पीटी हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम लगायी जावे ।

Scanned with CamScanner

साथ ही सभी पब्लिक टायलेट पर लगी मशीन बराबर काम कर रही है या नहीं यह श्री सिद्धार्थ सोनी उप यंत्री द्वारा दिखवा लिया जावे ।

(12). डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन पर कार्यरत वाहन चालक व हेल्पर की निगम सभागृह में आगामी दिन में दोपहर 12 से 3 के मध्य एक बैठक ली जाय।

(13). आवासीय क्षेत्र अन्तर्गत एक–एक लिटरबिन्स प्रत्येक वार्ड में व एक–एक लिटरबिन्स उद्यान में रखे जावें ।

(14). मंदिर के बाहर, जीपीओ, बीएसएनएल, जेल के बाहर, प्रतीक्षालय के वहां, दोनों कृषि उपज मंडी के बाहर व नर्सिंग होम के बाहर भी लिटरबिन्स लगाये जावें । इसी प्रकार फव्वारा चौक से जावरा रोड़ अंडरब्रिज तक व फव्वारा चौक से सालाखेड़ी की ओर फोर लेन की फुटपाथ पर लिटरबिन्स लगाये जावें। इस हेतु स्वच्छता अधिकारी डिमांड बना कर के दें । स्वास्थ्य विभाग बताएगा वहां पर लगाये जाने हैं । ये दिनांक 02–03–2021 को ही लगाये जावें ।

(15). 5 स्टार रैटिंग के लिए कामर्शियल क्षेत्र में लगभग 100 मीटर की दूरी पर लिटरबिन्स होना चाहिए व फोर लेन पर लिटरबिन्स 300–400 मीटर की दूरी पर लगाये जाएं । आवश्यकता होने पर और लिटरबिन्स खरीदे जाने की कार्यवाही की जाय। स्वास्थ्य विभाग के बताये अनुसार इन्हें लगाया जाय । यदि इस हेतु और आवश्यकता हो तो खरीदी की जावे ।

(16). गांधीनगर स्थित पानी की टंकी का कलर करवाया जाय व पेयजल की कैपेसिटी अंकित करवायी जाय।

(17). सड़क, नालियों की समुचित साफ–सफाई हेतु आवश्यकतानुसार संख्या में कुछ समय के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण तक अतिरिक्त लैबर यदि उपलब्ध हो तो आवश्यक संख्या में रखे जाने हेतु प्र0स्वच्छता अधिकारी कार्य किया जाय ।

(18). मुख्य सड़कों के साथ शहर की एक–एक सड़क एवं नाले–नालियों की सफाई हेतु यदि जे.सी.बी., डम्पर किराये से लगाने की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्र0स्वच्छता अधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(19). उद्यानों में बाउंड्रीवाल व पेवर ब्लॉक का कार्य करवायें तथा उद्यानों में प्रवेश स्थल पर पेटिंग करवायी जाए ।

Scanned with CamScanner

(20). आवश्यकतानुसार हाथ कचरा गाड़ी जैम पोर्टल से खरीदे जाने हेतु प्र0स्वच्छता अधिकारी द्वारा उपायुक्त नगर निगम के साथ प्रकरण तैयार किया जावे ।

(21). जो लोकेशन तय की गई है उस अनुसार उद्यान व वार्ड के बोर्ड तैयार कर लगवाये जावें । नगर के 49 वार्ड के अन्तर्गत निर्देशानुसार नियत वार्ड के उद्यान के बोर्ड लगना चाहिए । साथ ही बगल में नाली पर जाली लगी होना चाहिए । इस हेतु दिये गए निर्देश अनुसार साईज की जाली बनवा करके लगायी जावे ।

(22). नाले–नालियों की जो सफाई होगी उसके बाद कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाय व प्रेस नोट जारी किया जाय।

(23). रेसीडेंशल एरिया में स्वच्छता सर्वेक्षण का होर्डिंग्स लगवा दिया जाय ।

(24). रेल्वे स्टेशन व बस स्टैंड पर कोई पेशाब तो नहीं कर रहा है व कचरा तो नहीं फेंक रहा है होर्डिंग्स बनवा करके लगवा दें ।

(25). बस स्टैंड की सफाई अच्छी तरह से करवा दी जाय ।

(26). रेल्वे स्टेशन व बस स्टैंड के यहां पर C and D तो नहीं है व वार्डो में भी इसे दिखवा लिया जाय ।

(27). चौराहों आदि की समुचित सफाई करवायी जावे ।

(28). सभी वाहनों पर जीपीएस लगा होना चाहिए ।

(29). रात्रिकालीन सफाई में लगे कर्मचारियों का रजिस्टर मेन्टेन होना चाहिए कि कौन कर्मचारी कहां से कहां तक की सफाई करेगा।

रात्रिकालीन सफाई वाले सफाई संरक्षक का उपस्थिति रजिस्टर अलग से बनाया जाएगा ।

(30). डंडे वाली झाडू का सफाई में उपयोग किया जावे ।

(31). सफाई संरक्षक को जैकेट, ग्लव्स, मास्क कपड़े वाले व कार्य की आवश्यकता के अनुसार गमबुक उपलब्ध करवाये जावें ।

(32). नगर में चल रही गाड़ी पर एक छोटा टीवी चल रहा था, उसके स्थान पर प्रापर एलईडी चले यह सुनिश्चित किया जावे ।

Scanned with CamScanner

(33). स्वच्छता के 07 सवाल एक–एक नागरिक को पता होना चाहिए इस हेतु आस्था संस्था द्वारा प्रचार कर यह जानकारी दी जाय कि शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भाग ले रहा है ।

(34). बल्क जनरेट बाबत कार्यवाही की जावे।

(35). जितनी गाड़ियां है उन्हें डोर टू डोर हेतु दो राउंड लगवा दिया जाय ।

(36). जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर ग्रीन नेट लगी हुई हो कि निर्माण कार्य चल रहा है।

(37). फूलों से खाद बनाने संबंधी विज्ञप्ति जारी कर इस हेतु आफर बुलाये जावें। कुछ शहर में इससे अगरबत्ती बनाने का कार्य होता है। इसे दिखवाया जावे ।

उक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे ।

श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा उक्त कार्यवृत को निगम वेबसाईट पर अपलोड किया जावे ।

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगरपालिक निगम रतलाम

पृ0क्र0 / 314/58 / नि.स. / 2021, रतलाम, दिनांक 03-03-2021.

प्रतिलिपि,

1– कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम–रतलाम की ओर अवलोकनार्थ।

2– समस्त विभाग प्रमुख, नगर पालिक निगम–रतलाम ।

3– संबंधित सर्व श्री ————————————————

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

2/3/21
आयुक्त
नगरपालिक निगम.रतलाम

Scanned with CamScanner